| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| 27/12/24 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 3/1/25 को पेश हो<br>~~रिपोर्ट [illegible]~~ |
| 3/1/25 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6/1/25 को पेश हो<br>रिपोर्ट TPR प्राप्त हो |
| 6/1/25 | वकील प्रार्थी उप. जवाब फेरोकार सरकार पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि. 16/1/25 को पेश हो |
| 16/1/25 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21/1/25 को पेश हो |
| 21/1/25 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/1/25 को पेश हो |
| 22/1/25 | वकील प्रार्थी उप. बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/1/25 को पेश हो |
| 24/1/25 | वकील प्रार्थी उप. प्रा०पत्र मे उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट TPR अनुसार प्रा०पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर प्रा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त मीना (R.A.S.)

| मिसल नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 256/दावा/2024(2024/226) | 29.11.2024 | 24.01.2025 |

1. काली बाई उर्फ धनकंवर पत्नी श्री मोहन पुत्री श्री भंवरलाल निवासी गंधीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
2. बीना सैन पत्नी श्री जितेन्द्र सैन निवासी इन्द्रा कोलोनी तालेडा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पारस पत्नी नरेन्द्र मीणा निवासी मकान नं. 32 जवाहर नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
2. जोधराज पुत्र लदूर जाति मीणा निवासी देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
3. प्रहलाद पुत्र लदुर जाति मीणा निवासी देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
4. मन्नी बाई पत्नी लदूर जाति मीणा निवासी देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।
5. लोकेश पुत्र लदूर जाति मीणा निवासी देलुन्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ।
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री रामरतन सुमन
अधिवक्ता प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

## – : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआर0 एक्ट
वास्ते राजस्व नक्शे मे इन्द्राज दुरस्त करने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1620/1011 रकबा 1.4650 हैक्टेयर वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिस पर प्रार्थीगण खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। इसी प्रकार भूमि खसरा सं 1930/1011 रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी मे दर्ज है। इसी प्रकार भूमि खसरा सं 1931/1011 रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो अप्रार्थीगण स. 2 लगायत 5 की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व में खसरा सं. जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 के मुताबिक खेवट खतोनी सं. नया 215 तथा पुराना 200 खसरा सं. 1011 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा थे। उक्त भूमि का तत्समय के खातेदारो के मध्य विभाजन हो गया था तथा राजस्व नक्शा भी तरमीम हो गया था विभाजन के मुताबिक खसरा सं. 1011 मीन रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा छोटूलाल आत्मज मोहन को पश्चिम दिशा की प्राप्त हुई थी तथा 1011/1 पूर्व दिशा की प्रार्थी सं. 1 एवं उसकी मां रामप्यारी एवं भाई लालचन्द को प्राप्त हुई थी। प्रार्थी सं 1 की मां ने अपना हिस्सा हेमराज को बेचान कर दिया। हेमराज ने भी अपना हिस्सा प्रार्थी सं. 2 को बेचान कर दिया तथा लालचन्द की मृत्यू होने के बाद उसकी पत्नी लाडबाई के नाम फोती इंतकाल खुला। लाडबाई ने अपना हिस्सा प्रेमशंकर को बेचान कर दिया। प्रेमशंकर ने तत्पश्चात अपना हिस्सा प्रार्थी सं. 2 को बेचान कर दिया। इस प्रकार खसरा सं 1011/1 के नये नम्बर 1620/1011 कायम हुये तथा 1011 मीन के 1931/1011 तथा 1930/1011 कायम हुये। ऑनलाईन राजस्व नक्शा तरमीम के दौरान राजस्व अधिकारी, कर्मचारियों ने पूर्व नक्शा खसरा सं 1011 को नामान्तरण सं 623 दिनांक 27.01.1999 के माध्यम से हुये बंटवारा के साथ संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम नही किया तथा ऑनलाईन तरमीम के दौरान जहां प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सं 1620/1011 को मूल खसरा सं 1011 के नक्शे में पूर्व दिशा मे तरमीम करना चाहिए था वहां उत्तरी दिशा में तरमीम कर दिया तथा खसरा सं 1930/1011 व 1931/1011 को दक्षिण दिशा मे पूर्व एवं पश्चिम अनुसार दर्ज कर दिया। जो कि पूर्व बंटवारा के अनुसार तरमीम नही किया गया। इस प्रकार तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा गलत रूप से नक्शा तरमीम किया गया है जिसको पूर्व बंटवारा अनुसार दुरस्त करवाने का प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने आज से लगभग 15 दिवस पूर्व तहसीलदार तालेडा से वर्तमान काबिज काश्त अनुसार तथा पूर्व बंटवारा के अनुसार तरमीम राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने के लिए निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थीया को नेक सलाह दी गई कि आप उपखण्ड न्यायालय तालेड़ा में इस बाबत् राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निर्णय उपरांत ही हम राजस्व नक्शे में पूर्व राजस्व नक्शे एवं वर्तमान काबिज काश्त अनुसार राजस्व नक्शा में इन्द्राज दुरस्त करेंगे इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान् के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अप्रार्थी सं.1 लगायत 5 पूर्व खसरा सं. 1011 के नवीन नम्बर 1931/1011 व 1930/1011 के खातेदार होने के कारण तथा राजस्व नक्शा मे गलत तरमीम होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के नाते पक्षकार बनाये गये है। गलत नक्शा तरमीम होने से प्रार्थीगण को उक्त भूमि के सम्बंध में केसीसी सरकारी / गैर सरकारी योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है राजस्व नक्शा गलत तरमीम होने से प्रार्थीगण को कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। उक्त भूमि ग्राम देलून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। यह कि प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वर्तमान काबिज काश्त अनुसार तथा पूर्व बंटवारा के अनुसार तरमीम राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे जिसके तहत प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सं 1620/1011 को मूल खसरा स. 1011 को राजस्व नक्शे में पूर्व की ओर तरमीम करे तथा खसरा सं. 1930/1011 को पश्चिम दिशा मे तरमीम कर राजस्व नक्शे में दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 ने उपस्थित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं0 6 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार तालेडा ने जर्ये पत्रांक 4728 दिनांक 19.12.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम देलून्दा खाता सं0 410 ख0स0 1620/101 रकबा 1.4650 हैक्टे. किस्म नहरी दितीय, कालीबाई पुत्री भंवरलाल हि0 2/9 जाति माली सा देह खातेदार, मीना रीन पत्नि जितेन्द्र सेन हि0 7/9 जाति नाई सा0 इन्दा कोलोनी तालेडा दर्ज रेकार्ड है। खाता सं0 200 ख0स0 1930/1011 रकबा 0.7284 हैक्टे. किस्म नहरी दितीय पारस पत्नि नरेन्द्र हि0 पूर्ण जाति मीना कोटा एवं खाता सं0 398 ख0स0 1931/1011 रकबा 0.7284 हैक्टे0 जोधराज पि. लदूर हि0 1/4, प्रहलाद पि0 लदूर हि0 1/4, लोकेश पि0 लदूर हि0 1/4, मन्नीबाई पत्नि लदूर हि. 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर दर्ज रेकार्ड है। मौजूदा कपडे का नक्शा लटटा फटा हुआ है जिसमें तरमीम नही हो रही है प्रार्थिया द्वारा उपलब्ध करवाये गये नामान्तकरण सं0 623 की प्रमाणित प्रति में नजरी नक्शा बना हुआ है ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम हो रही है जो सेटीगेशन के वक्त सहवन से नामान्तकरण जिल्द में बने नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम नही हो पायी। मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा का रिपोर्ट में अंकन है जिसे शुद्ध किये जाने में कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार तालेडा ने रिपोर्ट के समर्थन में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रस्तुत की गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 200, खाता सं0 398, खाता सं0 410 वाके ग्राम देलून्दा , नकल जमाबन्दी संवत् 2051 से 54 वाके ग्राम देलून्दा खाता सं0 215,216 व 217 एवं नामान्तकरण सं0 623 वाके ग्राम देलून्दा पेश किये।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वर्तमान काबिज काश्त अनुसार तथा पूर्व बंटवारा के अनुसार तरमीम राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे जिसके तहत प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सं 1620/1011 को मूल खसरा स. 1011 को राजस्व नक्शे में पूर्व की ओर तरमीम करे तथा खसरा सं. 1930/1011 को पश्चिम दिशा मे तरमीम कर राजस्व नक्शे में दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की तहसीलदार द्वारा पुष्टि करना एवं पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण सं0 623 अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने पर रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार सहमति व्यक्त की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 200, खाता सं0 398, खाता सं0 410 वाके ग्राम देलून्दा , नकल जमाबन्दी संवत् 2051 से 54 वाके ग्राम देलून्दा खाता सं0 215,216 व 217 एवं नामान्तकरण सं0 623 वाके ग्राम देलून्दा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली के उपलब्ध रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि ऑनलाईन तरमीम करने के दौरान सहवन से गलत तरमीम कर दी गई है। जिसे दुरुस्त किया जाना पक्षकारान के हित में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सं 1620/1011 को मूल खसरा स. 1011 को राजस्व नक्शे में पूर्व की ओर तरमीम करे तथा खसरा सं. 1930/1011 को पश्चिम दिशा मे तरमीम कर राजस्व नक्शे में दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा